उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 46/2022/856/001-56-1099-177-2019
लखनऊ, दिनांक: 19 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में 11 KV HT भूमिगत लाइन बिछाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाइसैन्स फीस एवं Refundable Security Deposit के मद में DEO (डिफेन्स इस्टेट ऑफिसर) को भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-45/2022/854/001-56-1099-177-2019 दिनांक 17 मई, 2022 कोषाधिकारी, कानपुर नगर को पृष्ठांकित नहीं है। अतएव कोषाधिकारी, कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-45/2022/854/001-56-1099-177-2019 दिनांक 17 मई, 2022 की प्रति पृष्ठांकित की जाती है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 17 मई, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

पृ0सं0-46/2022/856(1)/001-56-1099-177-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार ई0एस0-III, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी0-I, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -10
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5. निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-11003.
6. कोषाधिकारी, कानपुर नगर, उ0प्र0।
7. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।